**17.53 hrs.**

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of State in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on 3-8-2001 to Starred Question No. 184 regarding losses suffered by Super Bazars. (Concluded).

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) :** सभापति महोदय, मैं सुपर बाजार में हो रही गड़बड़ी के सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

नरेश पुगलिया जी द्वारा विगत तीन तारीख को सदन में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सरकार की तरफ से जो उत्तर आया, उससे न तो सदस्य संतुट हुए और न ही सदन संतुट हुआ। इस कारण आसन द्वारा इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा का निदेश दिया गया। सुपर बाजार वर्ा 1976 से शुरू हुआ था। उस समय देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं। जब यह शुरू किया गया तो उस समय सरकार की यह नीयत थी कि कोआपरेटिव बनाकर कुछ पैसा सरकार दे और कुछ जनता का पैसा लगाकर आम लोगों को इसके माध्यम से सुविधा दी जाए। इसी क्रम में दिल्ली और नोएडा में लगभग 112 शाखाएं सुपर बाजार की कार्यरत हैं और 16 मोबाइल वैन भी इसकी चलती हैं।

भारत सरकार ने भी इसमें अपना हिस्सा दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा 157.5 लाख रुपये अनुदान के रूप में एक बार दिया गया था और सरकार द्वारा ऋण के रूप में 153.31 लाख रुपया दिया गया था। सब्सिडी भी लगभग एक करोड़ रुपये दी गई थी और यह संस्था काफी मुनाफे में चल रही थी। वर्ा 1989 में इसमें स्टेशनरी सामान बेचने की इजाजत दी गई। जो हमारी जानकारी है, उसके अनुसार 1990-91 में 21.84 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। 1991-92 में 9.33 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। 1992-93 में 10.83 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था। 1995-96 में 27.61 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था लेकिन इसके बाद अचानक यह मुनाफा घाटे में बदल गया। 1996-97 में 67.65 लाख रुपये का घाटा हो गया। 1997-98 में 321.33 लाख रुपये का घाटा हुआ था। 1998-99 में 706.80 लाख रुपये का घाटा हुआ। 1999-2000 में 1643.50 लाख रुपये का घाटा हुआ। इस घाटे को देखते हुए अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी का बयान भी आया, हमारे टी.वी. और प्रैस इंटरव्यू में कहा है कि आटा और शक्कर बेचने का सरकार का काम नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि आटा और शक्कर बेचने की बात भी सरकार की तरफ से सोची जा रही है। जो सहकारी संस्था इतना मुनाफा दे रही थी, उसमें अचानक घाटा आने का कारण क्या हुआ, कौन सी परिस्थिति आई और क्या कमी हुई जिसके चलते यह घाटे में बदल गई? मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो इसके चेयरमैन होते हैं, और जो मंत्री जी के पहले एनडीए की ही सरकार थी, उसमें एक मंत्री जी हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता और अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, जिस समय धूरी नाम के व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया था तो सारे नियम कानून को ताक पर रखकर उन्हें चेयरमैन बनाया गया और वह धूरी साहब जिस मकान में रहते थे, 18600 रुपया प्रतिमाह किराया देते थे और लगभग 9 लाख रुपये का भुगतान इस संस्था द्वारा उस मकान के किराये के रूप में किया गया। जो संस्था इतने घाटे में चल रही हो और उसके चेयरमैन को 9 लाख रुपये किराये के नाम पर छूट दी जाती हो तो मुनाफे की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? पूर्व में टेंडर के नाम से सामानों की आपूर्ति करायी जाती थी, कम्पीटिशन होता था। उसमें उचित मूल्य पर, कम मूल्य पर सामान मिलता था और जनता को अच्छी क्वालिटी के साथ सामान मुहैया कराया जाता था लेकिन उन्हीं चेयरमैन के जमाने में गर्म मसाला वगैरह का तीन महीने तक बिना टेंडर कराये हुए एक व्यक्ति को उन्होंने दे दिया था। किन परिस्थितियों में रेट तय हुआ होगा, यह आप और हम दोनों समझ सकते हैं और माननीय मंत्री जी भी इस बात को समझ सकते हैं। हमें बताया गया कि तीन महीने में 3.90 लाख रुपये का घाटा हुआ। जब इस तरह की गड़बड़ी शुरू हुई कि बिना टेंडर किये सामान की आपूर्ति शुरू हो गई तो सरकार को उसी समय इस पर ध्यान देना चाहिए था। इसी तरह दाल नवम्बर 1998 में 6 पार्टीज द्वारा ऑफर की गई थी। पहले 15 दिन पर उनका टेंडर लिया जाता था। अखबार में निकलता था, प्रतिदिन उसके भाव गिर रहे थे और भाव चढ़ रहे थे लेकिन उस समय भी 6 लोगों से एक रेट तय करके 6 लोगों से टेंडर लेना शुरू कर दिया।

सामान बिना टैंडर के लेना शुरु कर दिया। इसमें 485 बैंग दलहन के सीज किए गए और मुकद्दमा दर्ज किया गया। इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए। इसमे करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक-एक आइटम को देखें, तो सरकार को लगातार नुकसान होता गया है, लेकिन सरकार मौन बैठी रही। सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नही की गई और घाटा दिनप्रतिदिन बढ़ता गया।

महोदय, 1998 में पंजाब से प्याज, टमाटर और आलू मंगाए गए। पाच टन प्याज 10 रुपए किलों के हिसाब से मंगाए गए, 4.03 टन टमाटर 25 रुपए किलो के हिसाब से मंगाए गए और 100 टन आलू 8 रुपए किलो के हिसाब से मंगाए गए। सारा सामान स्टोर करते हुए, खराब हो गया। उस वक्त बाजार में कीमत कम थी, कोई ग्राहक भी खरीदने वाला नहीं था। बाहर से मंगाया हुआ सामान नट हो गया। इसमें करीब 5 लाख 29 हजार रुपए का नुकसान हुआ। स्थिति यह हो गई कि सुपर बाजार में झाड़ू देने वाले और सफाई का काम करने वाले कर्मचारी टैंडर सप्लाई का काम करने लगे। इस तरह से घाटे की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही यदि सरकार की तरफ से कार्रवाई होती, तो हमको लगता है कि इतना बड़ा नुकसान सुपर बाजार को नहीं होता। इसी प्रकार से स्वराज ट्रक बिना निदेशक मंडल की स्वीकृति हुए, खरीद लिया गया, जिस पर 73 लाख 94 हजार रुपए की लागत आई। ट्रक का कोई उपयोग नहीं है, वैसे ही खड़ा सड़ रहा है। इसके अलावा इस पर जो ऋण लिया गया, उस पर सूद बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप कैसे मुनाफे की उम्मीद करते हैं। हम जानना चाहता हूं, सरकार ऐसी स्थिति में चुप क्यों बैठी रही, उसने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की ?

**सभापति महोदय :** अब आप समाप्त करिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : महोदय, मेरे साथ अन्याय हो जाएगा ।

**सभापति महोदय** : आधे घन्टे की चर्चा है, आप मूवर है, इसलिए आपको दस मिनट का समय दे दिया गया है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : महोदय, जब आप आसन पर बैठे हैं, तो थोड़ा समय और दीजिए।

**सभापति महोदय** : नियम के अनुसार चलिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : हम और आप दोनों ही तो नियम को मानने वाले हैं।

**सभापति महोदय** : नियम का पालन होना चाहिए।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं, 18.11.99 से 26.11.99 के दौरान विधान सभाओं के चुनाव हो रहे थे। राजनीतिक लाभ लेने के लिए रेट गिरा दिए गए, जिसके चलते 1.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, संगरूर, पंजाब, में सुपर बाजार की एक शाखा खोली गई, भवन किराए पर ले लिया गया और कर्मचारियों की बहाली कर दी गई, लेकिन सुपर बाजार शुरु नहीं किया गया। जिसके चलते करीब 43 हजार रुपए का नुकसान हुआ। इसमें

कृषि एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव ने जांच की, जो कुछ आरोप बनाए, उनके आधार पर 25 जनवरी, 2001 को इन लोगों से एक स्पटीकरण मांगा गया। उसमें यह लिखा गया - जो घाटा हुआ है, वह घाटा आप लोगों से वसूल क्यों न किया जाए। भूरि के अलावा अन्य पांच लोग और शामिल हैं। भूरि से 7.59 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री सुरेन्द्र गांधी, जो उस समय उपाध्यक्ष थे, उनसे 4.05 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री एसएस जोस से 2.47 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री राम महेश्वरी से 2.47 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री अजीत सिंह से 0.89 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई, श्री विजय कुमार से 0.89 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही गई - यदि इन सबका टोटल किया जाए, तो यह राशि लगभग 18 करोड़ रुपए आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस संबंध में सीबीआई द्वारा जांच की बात कही गई थी, जिसमें कुछ लोग गिरफतार भी हुए हैं।

एक आईएएस का नाम भी आया था। उनमें छोटे लोग गिरफ्तार हो गए लेकिन बड़े लोग गिरफ्तार नहीं हो सके। उनकी गिरफ्तारी नहीं होने का क्या कारण है। हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जब छोटे कर्मचारी गिरफ्तार हो गए और दो आईएएस पर इस तरह का आरोप प्रमाणित हो चुका तो वे आज तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। हमने जिनका नाम बताया, जो हमें दिए गए, क्या इन लोगों के वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया। अगर नोटिस जारी किया गया तो अब तक वसूली क्यों नहीं की गई। अगर वसूली नहीं की गई तो इसके पीछे क्या कारण है। क्या इस संबंध में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है, राजनीतिक दबाव पड़ रहा है। सुपर बाजार को बर्बाद करने की कोई साजिश चल रही है?

महोदय, पहले जो सेल होता था, उसमें काफी गिरावट आई हुई है। उसमें लोग बताते हैं कि प्रति माह 1.40 करोड़ रुपए सेल में गिरावट हुई है और सुपर बाजार पर अलग से मार्केट का जो लोन है, लगभग आपूर्ति कर दी है, जिसका पैसा बकाया है। लोग बताते हैं कि अभी 35 करोड़ बकाया है। 1993-94 में बच्चों को जो िवद्यालयों में देने के लिए बिस्कुट दिए गए थे, उसमें काफी गड़बड़ी की गई थी। इस तरह जो आपूर्ति की गई थी उस व्यक्ति का कोई कारखाना नहीं था। माल बिल्कुल घटिया किस्म का था। सेंट्रल एक्साइज़ ने उसमें छापा मारा। उसके बाद सारी बातें खुल कर सामने आईं। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुईं और सरकार इसमें क्यों मौन बैठी रहती है। इस संबंध में एक प्रश्न हमने और रघुनाथ जी ने बहुत पहले किया था। जिसमें मंत्री जी का लिखित उत्तर भी आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इसका ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि 1995-96 से पांच वर्षों की अवधि का लेखा-परीक्षा और दिल्ली का सुपर बाजार 1994-95 का पांच वर्षों की अवधि का लेखा-परीक्षा कराने का सुझाव दिया है, उस पर सहमति हुई। जब सरकार की सहमति हुई कि लेखा-परीक्षा कराया जाएगा तो क्यों नहीं कराया गया। इसके पीछे क्या कारण है। क्या सरकार जान-बूझ कर सुपर बाजार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर नहीं तो सरकार ने इस पर कार्यवाही क्यों की।

महोदय, सुपर बाजार के बोर्ड को तत्काल भंग कर देना चाहिए। उसके बाद उसमें प्रशासक की नियुक्ति कीजिए। उसके माध्यम से उसे चलाइए। सी ए जी से इसका लेखा-परीक्षा जल्दी से जल्दी कराएं तो खुल कर हकीकत सामने आएगी। इसमें सरकार की पूंजी नहीं लगी हुई है, जनता की भी लगी हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि दोनों की पूंजी को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के उपाय निकालें। सुपर बाजार

ही नहीं, जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं- जैसे केन्द्रीय भंडार है तथा अन्य जगह हैं। आपके यहां कई पत्र हमने लिखे हैं। आपने बुला कर भी हमसे बात की थी। हालांकि इस सवाल पर अभी चर्चा नहीं हो रही है, हम आपसे कहेंगे कि जितनी आपकी संस्थाएं हैं उनमें भारी गड़बड़ी हो रही है, उन पर आप निगरानी रखिए। ये संस्थाएं सुचारु रुप से कैसे चलें, इनके घाटे कैसे समाप्त हों, इसके लिए आप कार्यवाही कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) :** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा उपक्रम दिल्ली का सुपर बाजार था। इसमें सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई थी। आज की तारीख में कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही चल रही थी और कुछ के खिलाफ मेजर और कुछ के खिलाफ माइनर पेनल्टी की बात चल रही थी,

उनसे कितनी बकाया राशि की वसूली हुई। क्या दिल्ली सरकार से राट्रीय सहकारी भंडार ने सुपर बाजार को लेने की इच्छा प्रकट की है। अगर हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही क्या प्लॉनिंग कमीशन ने कोई सब-कमेटी बनाकर इसके रिवाइवल के लिए सरकार के सामने सुझाव दिया है जिसमें कहा गया है कि 20 करोड़ का लोन देकर इसकी स्थिति सुधार करके, जो इसका डिरेलमेंट हुआ है उसे सही करके, इसे सही रास्ते पर ले जाए और सुपर बाजार को प्रौफिट में लाने का प्रयास करें। इसके बारे में सरकार की क्या योजना है?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): Mr. Chairman, Sir, I rise to seek a clarification from the hon. Minister.

Sir, there have been Press reports about storage of foodgrains in the godowns of Food Corporation of India and it has been stated that the godowns are overflowing. It has also come out in the Press that foodgrains are being sold at a throw-away price. At the same time, it has been reported that there were several cases of starvation death in four or five States in India and the Government did not take any action in this regard. The matter went up to the Supreme Court through a Public Interest Litigation. The Supreme Court heard the matter and they ordered that the Public Distribution System should be strengthened to avoid starvation deaths in the country. They ordered like this not once, but twice. So, the Government was given a direction in this respect by the Supreme Court. Then, the matter came up again before the hon. Supreme Court. It took a serious view on the subsequent occasion and gave a direction to the Government to take immediate steps to strengthen the Public Distribution System. It is an irony of fate that after 54 years of Independence, the Supreme Court had to give a direction like this. So, I request the Government that the Public Distribution System must be strengthened, by all means, throughout the country.

I now come to the aspect regarding losses suffered by Super Bazar. These losses could have been prevented if the Government was cautious enough to take preventive measures in time. The losses were due to callous negligence on the part of the Ministry of Consumer Affairs. If they had taken necessary steps by way of abundant caution, the losses could have been prevented. So, I would request the hon. Minister to explain sufficiently as to what has transpired in this case, because of which the Super Bazar has suffered these losses.

**डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) :** सभापति जी, मैं दो बातें जानना चाहता हूं। मेरा प्रश्न एक ही होगा और वह यह है कि क्या माननीय मंत्री महोदय के सामने यह बात आई है कि सुपर बाजार लगातार घाटे में चल रहा है और इस संबंध में जो सात मामले सीबीआई को सौंपे गए हैं उनमें किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। दूसरा, क्या माननीय मंत्री महोदय के सामने राट्रीय सहकारी भंडार नाम की संस्था ने इसे लेने की कोई प्रार्थना की है। अगर की है, तो इस संस्था के पदाधिकारी कौन हैं, उनकी निधियां क्या हैं, उनके पास प्रबंधन की क्षमता भी है या नहीं है, वे इसे चला भी सकते हैं या नहीं? या ऐसे ही कोई एक बॉडी बनाकर इसकी पूंजी को हड़पना चाहते हैं जो सहकारी बाजार के पास है। जैसा पहले हुआ और जैसा अभी माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि अवैध मोटर

की खरीद हुई है, अवैध नियुक्तियां हुई है, ऊंचे दामों पर प्याज और आलू की खरीद हुई है।

दालों को कम दामों पर बेच दिया यह कहा कि इलैक्शन सामने है। इन सब करोडों के घाटे की जवाबदारी किसकी है । इन सब बातों की जाच करते हुए सोसायटी के रजिस्ट्रार महोदय ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें श्री एस.एस. धूरी, श्री सुरेन्द्र गांधी, श्री एस.एस. जोस, श्री राम महेश्वरी, श्री अमरजीत सिंह चटवाल और श्री विजय कुमार के नाम पर जो पैसा निकाला है, उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? क्या किसी के ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा है? क्या श्री एस.एस. धूरी ने त्यागपत्र दिया है या त्यागपत्र दिलवाया जा रहा है? क्या त्यागपत्र देने के बाद वह अपने पद पर बने हैं,क्या सुपर बाजार की स्थिति अच्छी हो जायेगी । इसके बारे में माननीय मंत्री जी स्पट करें।

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सुपर बाजार के बारे में बिल्कुल सही है। उन्होंने बहुत से जो तथ्य यहां रखे। उनमें लगभग सच्चाई है। उन्होंने कहा कि 1995-96 तक यह लाभ में था और बाद में निरन्तर घाटे में चला गया, ऐसे सभी आंकड़े उन्होंने रखे, वे बिल्कुल ठीक हैं। घाटे में जाने का मुख्य कारण मिसमैनजमैंट, प्रोफेशनल आउटलूक का न होना, आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या, आय से अधिक खर्च करना और कर्मचारियों के वेतन में इतनी बढ़ोत्तरी करना जिस के कारण एकदम यह संस्था घाटे में चली गई। 1996-97 में बवेजा कमेटी को एवार्ड दे दिया गया। उन्हें डी.ए, बोनस इंटैरिम रिलीफ दे दिया गया। कुल मिला कर एक करोड़ 25 लाख रुपए की बढ़ोत्तरी वेतन में हो गई। 1997-98 में पांचवे पे कमीशन को ये देखे बिना कि आय कितनी है और घाटा चल रहा है, उसे लागू कर दिया। उसके कारण आठ करोड़ रुपए का और खर्चा पड़ गया। लगभग 9 करोड़ 25 लाख रुपए का और अधिक बोझ उस पर पड़ा। भ्रटाचार के बारे में जो-जो बातें कही गईं, वे लगभग ठीक हैं। उसमें कहा गया कि उस दौरान पूरा ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि सुपर बाजार के अन्दर अव्यवस्था, भ्रटाचार बढ़ता गया। एक चेयरमैन जिन का यहां नाम लिया गया वह आए और उन्होंने लगभग सारे नियमों को ताक पर रख कर बहुत सी गलत बातें करनी शुरु कर दीं। उस समय बोर्ड को भी जो-जो एक्शन लेना चाहिए था वह ऐक्शन समय पर नहीं लिया गया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मुझे कहा गया कि हमने क्या एक्शन लिया? जब मैंने इस मंत्रालय का कार्य भार संभाला तो पहला काम पहली फाइल जो मुझे निपटानी पड़ी वह यही थी। हमने सबसे पहला काम यह किया कि श्री धूरी की अध्यक्षता में जो बोर्ड था उसे भंग कर दिया। यह बात कही गई कि बोर्ड भंग क्यों नहीं कर रहे हैं, बोर्ड भंग कर दिया गया है। आज न श्री धूरी चेयरमैन हैं और न वे सब लोग बोर्ड के सदस्य हैं। सैंट्रल आर.सी.एस.को कहा कि वह इसके बारे में पूरी जांच करे। उन्होंने सैक्शन 69 और 73 के अन्तर्गत पूरी जांच की। परचेज ऑफ स्पाइसिज, अनऑथोराइज्ड परचेज आफ स्पाइसिज, परचेस ऑफ ओनियन जो हुआ, इन सब के बारे में उन्होंने कहा कि गलत हुआ। इससे इस संस्था को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। हमने उसी आधार पर रिकवरी डाली हैं। कुल मिल कर 18 करोड़ रुपए की रिकवरी डाली हैं और नोटिस जारी कर दिया है। जो भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी है, वह कार्रवाई की जा रही है। टोटल लायबिल्टी इस संस्था की 69.6 करोड़ रुपए है। इस संस्था के बारे में जो कदम इस सरकार ने उठाए, उसमें सबसे पहला कदम यहे था कि इस बोर्ड को भंग कर दिया।

## 18.00 hrs.

उसके बाद जो गलत बातें हुई थीं, उनके संबंध में सी.बी.आई. को केसेज़ दे दिये गये हैं। रिपोर्ट की आर.सी.एस. आई है, उसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है। लौंगोवाल टॉवर की करोड़ों रुपये की जो जमीन चली गई थी, उसे फिर से वापस ले लिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट का निर्देश एस.आर.जी.बी. के बारे में पूरा कर लिया गया है। इसमें कठिनाई यह थी कि 1997 में दिल्ली की जो सरकार थी, उनसे बातचीत हुई थी और वह सुपर बाजार लेने के लिये तैयार थी लेकिन भारत सरकार की ओर से कहा गया कि मैनेजमेंट में उसका दखल समाप्त हो जायेगा और सुपर बाजार दिल्ली सरकार संभाल लेगी। चूंकि 1997 के बाद एस.आर.जी.बी. पूरा नहीं था, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, इसलिये यह कार्यवाही नहीं हुई। जब कार्यवाही पूरी हुई तो 1997 के निर्णय के मुताबिक दिल्ली की सरकार ने लिखकर दिया कि वे सुपर बाजार लेना चाहते हैं। उस समय भारत सरकार ने बातचीत करके यह भी कहा कि जो लायब्लिटीज़ हैं, उसका कुछ हिस्सा भारत सरकार देने के लिये तैयार है। तत्पश्चात्, इतना इंतजार करने के बाद दिल्ली सरकार का जवाब आ गया है कि अब वह सुपर बाजार नहीं लेना चाहती ।

सभापति महोदय, अब सरकार के सामने यह समस्या आ गई है कि इसका क्या किया जाये। चूंकि यह कैबिनेट का निर्णय था कि सुपर बाजार दिल्ली सरकार को दिया जाये, अब दिल्ली सरकार उसे लेना नहीं चाहती। सन् 1997 में शायद दिल्ली में बी.जे.पी. की सरकार थी और वह लेने को तैयार थी लेकिन आज की दिल्ली सरकार इसे नहीं लेना चाहती। मैंने स्वयं दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात की है और उनसे कहा कि दिल्ली सरकार का कमिटमेंट था लेकिन उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में वह नहीं लेना चाहते हैं। हम माननीय सदस्यों के सुझावों और विकल्पों को लेकर कैबिनेट में जा रहे हैं कि इस बारे में अब क्या करना है।

सभापति महोदय, यहां बिस्कुट कांड के बारे में कहा गया। सी.बी.आई. ने कहा कि दो आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ मामला नहीं बनता है लेकिन जब मामला सी.वी.सी. के पास गया तो उन्होंने कहा कि मामला बनता है। हमने इससे सहमति प्रकट की कि उन दो आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ मामला बनता है। उनके खिलाफ अब कार्यवाही की जा रही है। कुल मिलाकर बहुत सी कार्यवाही की जा चुकी है। सी.बी.आई. को सात मामले दे दिये गये हैं। सी.बी.आई. ने प्रारम्भिक जांच रजिस्टर कर ली है। इंक्वायरी रिपोर्ट सैक्शन 69 और 73 के अंतर्गत आई है। वह रिपोर्ट हमने सी.बी.आई. को दे दी है ताकि उसमें जो क्रिमिनल ऑफैंस बनता हो, उस बारे में सी.बी आई. नोटिस ले। सुपर बाजार का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी एक्शन में आ गया है। उन्होंने 46 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी है, 16 लोगों को सस्पैंड किया है, 13 के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चली है, 24 लोगों के खिलाफ मेजर पैनल्टी की प्रोसीडिंग्ज चल रही है और 243 लोगो के खिलाफ माइनर पैनल्टी की कार्यवाही चल रही है। जो कुछ किया जा सकता था, वह हमने किया है लेकिन इस संस्था के बारे में क्या नया निर्णय हो और किस ढंग से इसे चलाया जाये, यह सोचने की बात है।

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सत्य है कि भारत सरकार ऐसी संस्थाओं को चलाती रही है। इस सहकारी संस्था में 40 हजार सदस्य हैं, और 76 जनरल बॉडी के सदस्य हैं। हम समझते हैं कि एक को-आपरेटिव की भावना हो जो ऐसी सब संस्थाओं को संभाले और इसका प्रबंध करे। चूंकि आज सरकार का इसमें दखल है, इसलिये उसे चलाना पड़ रहा है लेकिन पिछले दिनों इसकी ऐसी हालत थी कि यह संस्था अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही थी। लगभग 14 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है जिसे कर्मचारियों को वेतन देने के लिये उपयोग में लाया गया है।

सभापति महोदय, यहां लेखा-परीक्षा की बात कही गई। चूंकि हाई कोर्ट का स्टे जनरल बॉडी के बारे में कम्पलीट नहीं था, इसलिये उसमें देरी हुई है लेकिन लेखा परीक्षा दो साल का हो गया है। बाकी बहुत जल्दी कर दिया जायेगा।

एक बात कही गई कि किसी सहकारी समिति ने हमें प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव आया लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम कार्रवाई कर भी नहीं सकते। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। एक कारण यह है कि कैबिनेट का निर्णय है कि इस संस्था को दिल्ली सरकार को देना है। जब तक कैबिनेट उस निर्णय को नहीं बदलती तब तक कोई दूसरा निर्णय नहीं किया जा सकता और सभापति जी, यह सहकारी संस्था है।

**श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर)** : आपने रेकमंड किया है।

**श्री शांता कुमार** : बिल्कुल रेकमंड नहीं किया है।

**श्री नरेश पुगलिया** : आपने रेकमंड किया है कि राट्रीय सहकारी भंडार को दिया जाए, उसमें आपके एम.पी. इनवॉल्व्ड हैं, उसको देने के लिए आपने रेकमंड किया

है। â€¦ (व्यवधान)

**श्री शांता कुमार :** यह आरोप बिल्कुल गलत है। इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। हमारे पास उनका प्रस्ताव आया। हमने कहा कि इस प्रस्ताव के संबंध में िवभाग विचार करके बात करे और जब बात की तो मैंने जैसे कहा कि एक तो हम निर्णय नहीं ले सकते। दूसरा यह सहकारी समिति है, इसका निर्णय सरकार नहीं ले सकती। न हमने कोई निर्णय लिया है, न लेंगे, न ले सकते हैं। इसका निर्णय 40000 सदस्यों द्वारा निर्वाचित 76 लोगों की जो इलैक्टेड बॉडी है वह कर सकती है। सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती। न निर्णय किया है, न निर्णय करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस संस्था के बारे में हम भी चिन्तित हैं। दिल्ली में बड़ी आशाओं के साथ यह संस्था खुली थी लेकिन निरंतर गलत बातों के कारण इसकी जो स्थिति हुई â€¦ (व्यवधान)

**प्रो. रासा सिंह रावत :** स्टैन्डिंग कमेटी की सब कमेटी ने इसके रिवाइवल के लिए कोई सुझाव दिया है?

**श्री शांता कुमार :** इसके रिवाइवल का जहां तक सवाल है, रिवाइवल तब हो सकता है जब 69 करोड़ रुपये की जो लायेबिलिटी है, यह पैसा कोई लगाने को तैयार हो। इतना अधिक पैसा इस प्रकार की संस्था में सरकार लगाए यह उचित नहीं है और इस प्रकार की सहकारी संस्थाएं जिसमें 40000 लोग सदस्य हैं, वह संस्थाएं 40000 लोगों के द्वारा ही चलाई जाएं। सरकार का उस पर अधिक दखल रहा है यह भी एक कारण है कि ये संस्थाएं ठीक से नहीं चल सकीं। अब मंत्रिमंडल में हम इस पर विचार करेंगे और सारे विकल्प सामने हैं। किस ढंग से क्या हो सकता है इस ब रे में आज हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन जो कार्रवाई हो सकती थी, भ्रटाचार के सारे मामले दे दिये गये, कार्रवाई हो रही है, रिकवरी डाल दी, बोर्ड बिल्कुल भंग कर दिया, कानूनी कार्रवाई इस संबंध में हो रही है, लेकिन भविय में इसका क्या होना है, यह तो सरकार के विचाराधीन है। उसके बाद ही हम निर्णय कर पाएंगे। â€¦ (व्यवधान) सूरी के त्यागपत्र देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बोर्ड को भंग कर दिया है। वह अब कहीं पर हैं ही नहीं।

**श्री नरेश पुगलिया :** आपने बोर्ड को भंग किया है लेकिन उसमें हिमाचल कैडर से कोई प्रो. मिश्रा को लाकर बैठाया है और उनके आने के बाद ही दो साल में गड़बड़ हुई है। आप इस चीज को छिपा रहे हैं। जिस सहकारी भंडार की 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको आप एक लाख रुपये के शेयर कैपिटल वाले राट्रीय सहकारी भंडार को देना चाहते हैं। आपने कहा नहीं देंगे, हम आपकी बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन â€¦ (व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आप समय पर उपस्थित नहीं थे, आपका नाम पुकारा गया था।

**श्री नरेश पुगलिया :** लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल है। यह देश की पायनीयर संस्था है। â€¦ (व्यवधान)

**श्री शांता कुमार :** हमने किसी को रेकमंड नहीं किया, हम रेकमंड कर नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यह आरोप बिल्कुल गलत है।

**श्री नरेश पुगलिया :** 1997 तक यह संस्था इनकम टैक्स पे करती थी। तीन साल में संस्था का दीवाला क्यों निकाला गया? â€¦ (व्यवधान)